नवम्बर 2023

पैरवी संवाद

पब्लिक एडवोकेसी इनीशिएटिव्स फ़ॉर राइट्स एण्ड वैल्यूज़ इन इण्डिया

साथियो,

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह पूरी दुनिया के लिए उम्मीदों, अटकलों और निराशाओं के मौसम की शुरुआत है। जो साथी जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़े मुद्दों पर सक्रिय हैं वे इस मौसम की अहमियत समझते हैं। अगले महीने दिसम्बर में कॉप 28 का आयोजन होने जा रहा है जिसमें लगभग सारी दुनिया के प्रतिनिधि फिर एक बार इकट्ठे होंगे और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेंगे। इस बार कॉप के शुरू होने से पहले ही निराशाओं के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए जीवश्म ईंधन की समाप्ति की चर्चाएँ कॉप का हिस्सा हैं और दूसरी तरफ इस बार कॉप का आयोजन दुनिया के एक सबसे बड़े तेल उत्पादक देश में हो रहा है, जिसकी मंशा जीवश्म ईंधन की समाप्ति की कतई नहीं है। लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर भी विकसित और गरीब व विकासशील देशों के बीच कई मतभेद हैं। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ती दिख रही है कि जितनी उम्मीद की जा रही है उस पर शायद ही कॉप 28 खरा उतरे।

भारत में अगले साल चुनाव का मौसम रहेगा। 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे और देश के अगले पाँच साल का भविष्य तय होगा। लेकिन उसके पहले फिलहाल चर्चा यह है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं। 'एक देश - एक चुनाव' की हिमायत में वर्तमान सरकार है। यदि ऐसा होता है तो इसके क्या फायदे-नुकसान होंगे, चुनावी व्यवस्था में क्या परिवर्तन होंगे और इसका देश की लोकतांत्रित सेहत पर क्या असर होगा, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। इसके लिए एक समिति गठित की जा चुकी है, जो आगामी कुछ माह में यह सुझाव देगी कि 'एक देश - एक चुनाव' होना चाहिए या नहीं।

कहते हैं कि मौसम की मार सबसे ज्यादा गरीब झेलता है। सरकार द्वारा 'डिजिटल इंडिया' का जो मौसम लाया गया वह निश्चित ही सुहावना है। कई लोगों के लिए कई चीजें आसान हुई हैं। इसी बहाने देश में डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ी है। लेकिन इन तकनीकी हवाओं से गरीबों के जोड़ों में दर्द हो रहा है। इनकी मार देश के कमजोर व असुरक्षित समुदायों को झेलनी पड़ रही है, वह भी केंद्र और राज्य सरकारों की वजह से ही। 'ह्यूमन राइट्स वॉच' और 'इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन' की एक संयुक्त रिपोर्ट में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

पैरवी संवाद के इस अंक में हमने उपरोक्त विषयों को समाहित करने का प्रयास किया है। आशा है कि यह आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।

- रजनीश

इस अंक में ...

पृष्ठ 2

कॉप 28 की मेज पर क्या है

- अजय झा

पृष्ठ 5

सतत विकास लक्ष्य पर शिखर सम्मेलन

(रिपोर्ट)

पृष्ठ 7

कमजोर व असुरक्षित समुदायों को आहत करता इंटरनेट शटडाउन

रिपोर्ट: ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन

पृष्ठ 9

एक देश एक चुनाव: सरकार का एक और नया दांव

- दीनबंधु वत्स

पृष्ठ 11 गतिविधियाँ

कॉप 28 की मेज पर क्या है

अजय झा

संयुक्त अरब अमीरात तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक और जीवाश्म गैस का 14वां सबसे बड़ा उत्पादक है। जीवाश्म ईंधन को खत्म करने के बजाय, उनका एजेंडा कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) के माध्यम से 'उत्सर्जन मुक्त जीवाश्म ईंधन' को बढ़ावा देना है। क्या इस एजेंडे वाले मेजबान पर सार्थक प्रगति देने का भरोसा किया जा सकता है!

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दलों का 28वां सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। पूर्ववर्ती कॉप (शर्म-अल-शेख, मिस्र, 2022) का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विकासशील देशों की लंबे समय से चली आ रही मांग के रूप में एक क्षतिपूर्ति वित्तपोषण कोष (लॉस एंड डैमेज फंड) की स्थापना करना था, इसलिए, कॉप 28 में भी यह एजेंडे में शीर्ष पर होगा। लॉस एंड डैमेज फंड में अच्छी प्रगति जलवायु वार्ता में विश्वास की कमी को दूर करने के लिए बहुत जरूरी होगी। इसके अलावा, प्रथम वैश्विक स्टॉक टेक, पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं पर देशों के सामूहिक प्रदर्शन का आकलन करने की एक प्रक्रिया भी कॉप 28 में समाप्त होगी। जलवायु वित्त हमेशा की तरह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और यह सभी पहलुओं, शमन, अनुकूलन, हानि और क्षति से जुड़ा हुआ है। जबकि, सामूहिक रूप से विकसित देशों के इस वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुँचने की संभावना है, हमने देखा है कि कोपेनहेगन में हवा में से निकाला गया यह लक्ष्य काफी अपर्याप्त है। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (एनसीक्यूजी) पर चर्चा दिलचस्प होगी। इस मामले का सार यह है कि हम जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन को कितनी तेजी से कम कर सकते हैं। 80 से अधिक देशों ने पिछले कॉप में जीवाश्म ईंधन चरण की मांग का समर्थन किया था, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। बड़ी संख्या में देश इस मांग का समर्थन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस कॉप में देश इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अधिक तत्परता दिखाएंगे। यहां हम कॉप 28 की मेज पर मौजूद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को सूचीबद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं।

नुकसान और क्षतिपूर्ति

विवादास्पद नुकसान और क्षति की बातचीत यूएनएफसीसीसी की उत्पत्ति से ही चली आ रही है। हालांकि, इस पर एक सार्थक निर्णय पिछले साल ही आया जब 138 देशों ने गतिरोध पैदा किया और एक वित्तीय व्यवस्था बनाने के निर्णय पर सहमति होने

तक वार्ता को आगे बढ़ने से रोका। कॉप 27 ने फंड के लिए वित्तपोषण, गुंजाइश और तंत्र का पता लगाने के लिए एक संक्रमणकालीन समिति (ट्रांजिशनल कमिटी) का गठन किया। पिछले वर्ष से इस समिति की तीन बैठकें हुई हैं। कौन भुगतान करेगा, कौन फंड का उपयोग कर सकता है, और फंड कहां आधारित होना चाहिए, इस पर असंतोष है और विकसित व विकासशील देशों के बीच स्पष्ट विभाजन देखा गया है। विकासशील देश चाहते हैं कि विकसित और उच्च आय वाले देशों को भुगतान करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी लेना चाहिए (जो इस तरह के फंड के निर्माण के लिए बुनियादी तर्क है) लेकिन विकसित देशों ने स्पष्ट रूप से इस तरह के किसी भी दायित्व का खंडन किया है। विकसित देश भी चाहते हैं कि फंड विश्व बैंक में आधारित हो, लेकिन जी77 और चीन संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के भीतर फंड के लिए अधिक इच्छुक हैं। वे आरोप लगाते हैं कि विश्व बैंक अनुदान निर्माण में कम अनुभव वाली एक ऋण संस्था है, और यह उच्च आय वाले देशों (उनके बड़े हिस्से के कारण) का प्रभुत्व होगा और छोटे देशों के लिए फंड तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। एलायंस ऑफ स्मॉल आईलैंड स्टेट्स (एओएसआईएस) ने यह भी आरोप लगाया है कि वर्ल्ड बैंक धीमा व अक्षम है और उच्च लेन-देन शुल्क निर्धारित करता है। छोटे विकासशील व पाकिस्तान जैसे देशों को भी आशंका है कि वे फंड तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वे सबसे गरीब देश नहीं हैं। अब तक अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देश गैर-आर्थिक नुकसान पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। पूरी बहस किसी भी हद तक चरम सीमा के करीब नहीं लगती और कड़वी लड़ाइयों की उम्मीद है। नागरिक समाज संगठनों ने भी प्रोफेसर सलीम उल हक के नाम पर इस फंड का नाम 'हक फंड' रखने के आह्वान का समर्थन किया है। प्रो. सलीम उल हक इस फंड के सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे जिनका नवंबर की शुरुआत में निधन हो गया।

कॉप 27 ने हानि और क्षति के लिए सैंटियागो नेटवर्क (एसएनएलडी) को संचालित करने पर भी सहमति व्यक्त की थी, जिसका उद्देश्य चरम जलवायु का सामना कर रहे देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। कॉप 27 के अगले वर्ष, देशों को एसएनएलडी के लिए मेजबान एजेंसी की पहचान करनी थी। हालाँकि, बॉन देश मेजबान एजेंसी की पहचान करने में विफल रहे जिससे एसएनएलडी के काम में एक साल या उससे अधिक की देरी हो सकती है।

वैश्विक स्टॉक टेक

वैश्विक स्टॉक लेने की प्रक्रिया ग्लासगो कॉप 26 में शुरू हुई, जिसे एनडीसी के अगले दौर की जानकारी देने और इसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से हर पांच साल में किया जाना था। ग्लोबल स्टॉक टेक को तीन चरणों में काम करने की कल्पना की गई है, डेटा संग्रह (सूचना), तकनीकी, और राजनीतिक चरण। तकनीकी चरण जून में पूरा हो गया और 8 सितंबर को एक संश्लेषण रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि हमने पैरिस एग्रीमेंट की प्रतिबद्धताओं की दिशा में आगे बढ़ने में कुछ दूरी तय की है, हालांकि अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि इस गति से, वैश्विक तापमान (अब) सदी के अंत तक 2.4 से 2.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जबकि 2010 में 3.7 से 4.8 डिग्री की वृद्धि हुई थी। यह रिपोर्ट इसका भी उल्लेख करती है कि हमें जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, नवीकरणीय ऊर्जा के पैमाने को बढ़ाने, परिवहन और उद्योग को स्थानांतरित करने, और गैर CO_2 उत्सर्जन को कम करने (जैसे मीथेन) पर और अधिक तीव्र गति से काम करने की आवश्यकता है। कॉप 28 में रिपोर्ट पर राजनीतिक चर्चा करने और उन कदमों (और प्रतिबद्धताओं) पर विचार करने की उम्मीद है जो एनडीसी की महत्वाकांक्षा को और बेहतर बनाएंगे। ठोस प्रतिबद्धताओं का पालन करने के प्रति देशों की इच्छा और सक्रियता देखना अभी बाकी है। जब तक ऐसा नहीं होता, ग्लोबल स्टॉक टेक महज सूचना साझा करने की कवायद बनकर रह जाएगी।

अनुकूलन और अनुकूलन वित्त पर वैश्विक लक्ष्य

पेरिस समझौते ने जलवायु अनुकूलन पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से अनुकूलन (जीजीए) पर एक वैश्विक लक्ष्य की स्थापना की, जो विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है। कॉप 27 में, देशों ने जीजीए हासिल करने के लिए एक रूपरेखा की स्थापना करने का फैसला किया। माना जा रहा है कि कॉप 28 में इस रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया जाएगा और इसे अपनाया जाएगा। हालांकि, उद्देश्यों, दायरे और तौर-तरीकों पर अभी तक कोई सहमति नहीं है। फ्रेमवर्क के विकास में विकासशील देशों (जी77 और चीन और एलएमडीसी) ने विस्तृत लक्ष्यों और संकेतकों पर जोर दिया है, हालांकि विकसित देशों ने रूपरेखा के तत्वों और ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। इस बात पर सहमति बनी है कि बाकी कार्यशालाओं में लक्ष्यों, संकेतकों और मैट्रिक के विकास और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा वित्त पर स्थायी समिति (एससीएफ) भी वर्ष 2025 तक वित्त को दोगुना करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रही है। कुल जलवायु वित्त का 20 प्रतिशत से भी कम अनुकूलन में जाता है और यूएनईपी का अनुमान है कि अनुकूलन वित्त की जरूरतें 2030 तक 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 560 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएंगी।

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त हमेशा से जलवायु वार्ता में महत्वपूर्ण आयाम रहा है। इस वर्ष जलवायु वित्त के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी सितंबर 2023 में एसडीजी शिखर सम्मेलन के दौरान इस साल वादे को पूरा करने और अगले साल तक हानि और क्षति वित्त को चालू करने का आह्वान किया है। अकेले विकासशील देशों में वास्तविक जलवायु वित्त आवश्यकताओं के सामने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य फीका है। यह उल्लेख करना संदर्भ से बाहर नहीं होगा कि विकासशील देशों के लिए सतत विकास वित्त अंतराल 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि

एलआईसी और एलएमआईसी का कर राजस्व एक साथ मिलाकर 4.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। जाहिर तौर पर, उच्च आय वाले देशों से उचित वित्तीय सहायता के बिना उनकी प्रगति नहीं हो सकती। हालाँकि, बॉन सम्मेलन में नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी), 2025 से आगे के जलवायु वित्त स्तर पर बातचीत इस बात का उदाहरण थी कि उच्च आय वाले देश वित्त वार्ता में किस दिशा में जाना चाहते हैं। अधिकांश विकसित दुनिया पेरिस समझौते की धारा 2.1 सी पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, जिसके लिए पार्टियों को अपने वित्तीय प्रवाह को कम ग्रीनहाउस उत्सर्जन और लचीले जलवायु विकास की दिशा में एक मार्ग के साथ संरेखित करने की आवश्यकता होती है, जो कि समझौते की धारा 9 के विपरीत है, जिसमें विकासशील देशों को आवश्यक वित्त प्रदान करने के लिए विकसित देशों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला गया है।

यूएनएफसीसीसी के बाहर एक संबंधित विकास में, जून 2023 में फ्रांस के नेतृत्व में देशों के एक समूह (अमेरिका, स्पेन, बारबाडोस, वर्ल्ड बैंक और आईएडीबी सहित) ने सभी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं को 2025 के अंत तक लचीले जलवायु ऋण खंडों को शामिल करने का आह्वान किया है। उन्होंने गरीब देशों को एसडीआर (लगभग 100 बिलियन मूल्य) पुनः आवंटित करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 650 बिलियन अमरीकी डालर के एसडीआर के पुनः आवंटन में 2: से भी कम एलडीसी को गया। विश्व बैंक ने जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों के लिए नए ऋणों के पुनर्भुगतान को रोकने का भी प्रस्ताव दिया है। जबकि 50 से अधिक देश चरम जलवायु और कोविड महामारी के कारण ऋण संकट का सामना कर रहे हैं, अधिक ऋण के लिए शायद ही कोई जगह है!

जस्ट ट्रांजिशन एनर्जी पार्टनरशिप

कॉप 26 में जी7 देशों ने दक्षिण अफ्रीका ऊर्जा परिवर्तन के लिए अगले 3-5 वर्षों में 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से) जुटाने का वादा किया है। बाद में इसी तरह के वादे इंडोनेशिया (20 बिलियन अमेरिकी डॉलर), वियतनाम (15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और सेनेगल (2 बिलियन यूरो) से किए गए। भारत को भी समर्थन मिलने की संभावना है। जेईटीपी में अच्छी क्षमता है लेकिन किए गए वादे इन देशों की जरूरतों के लिए बेहद अपर्याप्त हैं। कॉप 27 में घोषित दक्षिण अफ्रीका जेईटीपी योजना के लिए लगभग 100 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। अमीर लोगों की मेज के टुकड़े शायद ही किसी सार्थक परिवर्तन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त हों।

कॉप 27 के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम (जेटीडब्ल्यूपी) की स्थापना करना। अंतर-सत्रीय कार्य को दायरे को स्पष्ट करने का काम सौंपा गया था, जबकि पहली मंत्रिस्तरीय वार्ता कॉप 28 में होगी। उच्च आय वाले देशों और विकासशील देशों के बीच जेटीडब्ल्यूपी की कल्पना, दायरे और उद्देश्यों में स्पष्ट अंतर रहा है। विकासशील देश चाहते हैं कि जेटीडब्ल्यूपी ऊर्जा क्षेत्र में कार्यबल को बदलने, अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित चर्चा के साथ एक सूचना साझा करने वाला अभ्यास बना रहे, विकासशील देश ऊर्जा क्षेत्र से परे व्यापक फोकस चाहते हैं और ट्रैन्जिशन के अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव व ट्रैन्जिशन के लिए तकनीक स्थानांतरण और वित्तीय सहायता को देखते हैं। विकसित देश यह निर्धारित करने के किसी भी प्रयास को भी अस्वीकार करते हैं कि उन्हें कार्यक्रम के उद्देश्य के रूप में अपनी शमन प्रतिबद्धताओं को कैसे पूरा करना चाहिए।

जलवायु वार्ता में कृषि और खाद्य

कॉप 27 में देशों ने कृषि पर कोरोनिविया संयुक्त कार्य (2017) को सफल बनाने के लिए कृषि और खाद्य सुरक्षा पर चार साल की योजना पर सहमति व्यक्त की थी। हालाँकि, खाद्य संप्रभुता के प्रति उत्साही कृषि में कृषि पारिस्थितिकी, खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण, पोषण और आहार परिवर्तन, अनुकूलन और शमन पर मजबूत फोकस की कमी पर अफसोस जताते हैं। वे बाजार आधारित दृष्टिकोण और तकनीकी समाधानों पर अनुचित जोर देने का भी आरोप लगाते हैं। एफएओ द्वारा कॉप 28 में कृषि और भोजन से उत्सर्जन को कम करने के लिए एक रोड मैप जारी करने की भी उम्मीद है, जिसे 1.5 डिग्री लक्ष्य के साथ संरेखित किया जाएगा। कॉप 28 के अध्यक्ष ने देशों से अपनी कृषि और खाद्य नीतियों को एनडीसी, एनएपी और एनबीएसएपी के साथ संरेखित करने का आह्वान किया है। अमेरिका और यूएई भी अपने कृषि इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट (एआईएम४सी) को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से तकनीकी समाधानों के बारे में है और कॉर्पोरेट एकाग्रता को और बढ़ावा देगा।

जीवाश्म ईंधन की समाप्ति

तेल और गैस वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में लगभग आधे का योगदान करते हैं। अब कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लगभग एक सार्वभौमिक सहमति है, हालांकि इस निर्णय को पूरी तरह से लागू करने में एक दशक से अधिक समय लग सकता है, लेकिन ध्यान जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर होना चाहिए। इस आह्वान के पीछे देशों की संख्या बढ़ रही है। हालाँकि, तेल और गैस उत्पादक और निर्यातक देशों की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के चार चरण हैं, (i) कोई नया निवेश और परमिट नहीं, (ii) तेल और गैस उत्पादन के लिए अंतिम तिथि निर्धारित करना, (iii) असमान जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करना, और (iv) तेल और गैस में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त को समाप्त करना। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी प्रमुख तेल और गैस उत्पादक (शीर्ष 15 में) ने नए निवेश को समाप्त करने की प्रतिबद्धता नहीं जताई है (स्वीडन, फ्रांस स्पेन, पुर्तगाल को छोड़कर), अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूएई जैसे बड़े उत्पादक अभी भी नए परमिट जारी कर रहे हैं । उनमें से किसी ने भी अंतिम तिथि के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई है (डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन आदि जैसे छोटे उत्पादकों को छोड़कर)। डेनमार्क (यद्यपि यूरोप में सबसे बड़ा तेल उत्पादक) वैश्विक तेल उत्पादन का केवल 0.1 प्रतिशत उत्पादन करता है। हालाँकि, डेनमार्क जैसे कई मामलों में 2050 की अंतिम तिथि

बहुत दूर है। अमेरिका, सऊदी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएई जैसे प्रमुख उत्पादक उत्पादन कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं। जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के संबंध में, आईएमएफ का अनुमान है कि 2022 में 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी दी गई थी, जबकि जीवाश्म ईंधन का उचित मूल्य निर्धारण वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 36 प्रतिशत कम कर सकता है। अमेरिका (प्रति व्यक्ति सबसे बड़ी सब्सिडी), ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा में उत्पादन के साथ-साथ उपभोग दोनों में भारी सब्सिडी देना जारी है। केवल न्यूजीलैंड ने सब्सिडी समाप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तपोषण को समाप्त करने के मामले में केवल न्यूजीलैंड ही समाप्त हुआ है। जापान, जर्मनी, नॉर्वे, अमेरिका, रूस आदि अन्य देशों में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को वित्त पोषित करना जारी है।

मेजबान यूएई

मेजबानों ने जिन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है वह हैं - (i) फास्ट ट्रैकिंग ट्रांजिशन, (ii) जलवायु वित्त को ठीक करना, (iii) लोगों और ग्रह पर ध्यान केंद्रित करना, और (iv) पूर्ण समावेशिता। हालाँकि, यूएए को अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के सीईओ को कॉप अध्यक्ष के रूप में नामित करने के लिए वैश्विक निंदा मिली है, न केवल सीएसओ से बल्कि अमेरिकी कांग्रेस और एमईपी के सदस्यों से भी। संयुक्त अरब अमीरात तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक और जीवाश्म गैस का 14वां सबसे बड़ा उत्पादक है। उनका दावा है कि जीवाश्म ईंधन उत्पादन में उनकी कम लागत और सबसे कम उत्सर्जन के कारण वे अंतिम स्थायी उत्पादक होंगे। जीवाश्म ईंधन को खत्म करने के बजाय, उनका एजेंडा कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) के माध्यम से 'उत्सर्जन मुक्त जीवाश्म ईंधन' को बढ़ावा देना है। यह अमेरिका, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित अन्य बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादकों के एजेंडे में भी शीर्ष पर है। क्या इस एजेंडे वाले मेजबान पर सार्थक प्रगति देने का भरोसा किया जा सकता है, यह एक और सवाल है!

सतत विकास लक्ष्य पर शिखर सम्मेलन

रिपोर्ट

18-19 सितम्बर 2023 को राष्ट्रसंघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में सतत विकास लक्ष्य पर शिखर सम्मेलन का अयोजन राष्ट्रसंघ के सेक्रेटरी जनरल की अध्यक्षता में किया गया। इसमें 145 देशों से 57 राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, 30 प्रधानमंत्री और 58 उप प्रधानमंत्री/मंत्री शामिल हुए। सभी ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता जाहिर की और इन्हें 2030 तक प्रापत करने के लिए अपने प्रयास व इसमें आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। सतत विकास लक्ष्यों पर 2019 के बाद यह दूसरा शिखर सम्मेलन था।

ज्ञातव्य है कि सारे कथित प्रयासों के बाद भी इस गति से 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों में से 15 प्रतिशत ही प्राप्त करना संभव होगा। राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी, अपर्याप्त संसाधन और कई अन्य मूलभूत कारण जो विकसित और विकासशील देशों के बीच राजनैतिक और आर्थिक दूरी बढ़ा रहे हैं, इस असफलता के कारण हैं। नागर समाज के हिसाब से यह सम्मेलन अच्छा रहा क्योंकि उन्हें पहली बार बोलने का मौका मिला। शिखर सम्मेलन के पाँच लीडरशिप डायलॉग में से सभी में एक नागर समाज प्रतिनिधि को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। पैरवी से अजय कुमार झा ने लीडरशिप डायलॉग 5 को सम्बोधित किया। इस डायलॉग का शीर्षक 'बहुपक्षीय वैश्विक शासन प्रणाली का सशक्तिकरण' था। इस डायलॉग को मोजांबिक के राष्ट्रपति और आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने संचालित किया। वक्ताओं यूक्रेन, तुर्की, इरान, रवांडा, मोनेको, रोमानिया, मॉरिटेनिया, साइप्रस, केन्द्रीय अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति और अंडोरा, जापान, नॉर्वे, कुवैत के प्रधानमंत्री और चीन व कोट डि'आइवोयर के उपराष्ट्रपति थे।

अजय कुमार झा ने इस डायलॉग में अपनी बातचीत बहुचर्चित पार्टनरशिप या भागीदारी पर रखी। सतत विकास लक्ष्यों के लिए भागीदारी को धता बताते हुए उन्होंने कहा कि यह

सतत विकास लक्ष्य पर शिखर सम्मेलन का सार

सम्मेलन के अंत में राष्ट्रसंघ के महासचिव ने 6 निष्कर्ष निकाले जिन पर शीघ्रातिशीघ्र प्रगति की आवश्यकता है।

1. 500 बिलियन डॉलर के एसडीजी प्रोत्साहन। सतत विकास लक्ष्य फंड को 2024 तक सुचालित करना।
2. नौकरी और सामाजिक सुरक्षा की गति तेज करने के लिए कार्यक्रम
3. 2024 में 0.7 प्रतिशत ओडीए के लक्ष्य को हासिल करना
4. सतत विकास लक्ष्यों के स्वैच्छिक राष्ट्रीय आकलन (वीएनआर) में जवाबदेही लाना
5. वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार के लिए सितम्बर 2024 तक स्पष्ट प्रस्ताव लाना
6. लॉस एण्ड डैमेज फंड (क्षतिपूर्ति कोष) को 2024 तक चालू करना

शिखर सम्मेलन से निकले राजनैतिक घोषणा-पत्र में भी इनमें से कई प्रस्तावों की चर्चा है। आशा है कि सितम्बर 2024 में महासचित द्वारा आयोजित किए जा रहे भविष्य का शिखर सम्मेलन (Summit of the Future) तक इन सारे प्रस्तावों पर राष्ट्रों के बीच सहमति और प्रगति होगी।

भागीदारी दुनिया के गरीब देशों और गरीब समुदायों के लिए एक छलावा है और ऐसी भागीदारियों से धनी देश और गरीब देशों के बीच खाई बढ़ रही है।। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि एसडीजी भागीदारी पटल पर सूचीबद्ध भागीदारियों को देखें तो 90 प्रतिशत से अधिक स्थानीय भागीदारियां हैं। अल्पविकसित देशों में इस तरह की भागीदारी विकसित देशों के अंदर और विकसित देशों के बीच भागीदारी के मुकाबले में काफी कम है। इसका मतलब यह है कि विकसित देश, गरीब देशों को सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देने के बजाय आपस में ही भागीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि भागीदारियों में अभी भी उत्तर के देशों का प्रभुत्व है जिससे उत्तर और दक्षिण की खाई बढ़ती जा रही है।

उन्होंने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन में भागीदारी की बात करें तो स्थिति और भी दुःखद है। सिर्फ जी20 वैश्विक उत्सर्जन के 80 प्रतिशत का जिम्मेदार है लेकिन 2030 तक जहाँ अपने उत्सर्जन को आधा करना है, जी20 सिर्फ 10 प्रतिशत कम करने की राह पर है। अनुकूलन में जहाँ विकासशील, छोटे और द्वीपीय देशों को संसाधन की आवश्यकता अधिक है, पूरे जलवायु संसाधन का मात्र 20 प्रतिशत अनुकूलन के लिए उपलब्ध है। अल्पविकसित देशों को सिर्फ 14 प्रतिशत जलवायु संसाधन और द्वीपीय देशों को सिर्फ 2 प्रतिशत संसाधन ही मिलता है। क्या इसे न्यायोचित भागीदारी कह सकते हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अभी के प्रयासों से अगली सदी में भी जलवायु न्याय की अपेक्षा बेमानी होगी और अगली सदी में भी विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता विकसित देशों की तुलना में काफी कम होगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि अल्पविकसित और विकासशील देशों को भागीदारी में शामिल किया जए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह भागीदारी विकसित और दूसरे देशों के बीच दूरी को कम करे।

कमजोर व असुरक्षित समुदायों को आहत करता इंटरनेट शटडाउन

रिपोर्टः ह्यूमन राइट्स वॉच से साभार

मानवाधिकार विशेषज्ञों ने 2015 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघर्ष की स्थितियों में जवाबी कार्रवाई पर संयुक्त घोषणा-पत्र में कहा था, 'संघर्ष के समय में भी, मानवाधिकार कानून के तहत कम्युनिकेशन 'किल स्विच' (यानी संचार प्रणालियों को पूरी तरह बंद करना) का इस्तेमाल कतई सही नहीं ठहराया जा सकता।'

ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने 13 जून 2023 को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत द्वारा मनमाने ढंग से इंटरनेट पर पाबंदी से भोजन और आजीविका के लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर निर्भर गरीब समुदायों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। 2018 के बाद, भारत ने दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले इंटरनेट पर सबसे अधिक पाबंदी लगाई है। इससे सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'डिजिटल इंडिया' को धक्का लगा है क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत मुख्य सार्वजनिक सेवाओं को लागू करने हेतु इंटरनेट की नियमित पहुंच आवश्यक बना दी गई है।

82 पन्नों की रिपोर्ट 'इंटरनेट नहीं तो कोई काम नहीं, आमदनी नहीं, अनाज नहीं: डिजिटल इंडिया में लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित करता इंटरनेट शटडाउन' के निष्कर्षों के मुताबिक इंटरनेट शटडाउन आवश्यक गतिविधियों को बाधित करता है और भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत प्राप्त आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रतिकूल असर डालता है। भारत के सरकारी तंत्र ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के प्रक्रियात्मक सुरक्षा संबंधी आदेशों की अवहेलना की है। इन आदेशों में अदालत ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इंटरनेट पर प्रतिबंध वैध, आवश्यक, आनुपातिक हों और उनका दायरा एवं क्षेत्र सीमित हो। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इंटरनेट पर पाबंदी के फैसलों का अक्सर कोई तयशुदा आधार नहीं होता है तथा ये गैरकानूनी होते हैं और विरोध प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने एवं परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट एशिया निदेशक जयश्री बाजोरिया ने कहा, "डिजिटल इंडिया के युग में, जहां सरकार ने जीवन के हर पहलू के लिए इंटरनेट को बुनियादी जरूरत बनाने पर जोर दिया है, वहीं सरकारी तंत्र ने इंटरनेट शटडाउन को पुलिस कार्यप्रणाली का स्थायी हिस्सा बना लिया है। इंटरनेट पर पाबंदी एकदम आखिरी कदम होना चाहिए और ऐसा करते हुए सुरक्षा उपायों के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग आजीविका और बुनियादी अधिकारों से वंचित न हों।"

ह्यूमन राइट्स वॉच ने जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, असम, मणिपुर और मेघालय के साथ-साथ कई स्थानों पर इंटरनेट शटडाउन से सीधे प्रभावित लोगों सहित 70 से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया। शटडाउन पर किसी भी तरह के आधिकारिक आंकडें मौजूद नहीं होने के कारण इंटरनेट शटडाउन के लिए जवाबदेही तय करना ज्यादा मुश्किल हो गया है।

भारत में सबसे लंबी अवधि तक इंटरनेट शटडाउन जम्मू-कश्मीर में रहा। सरकार ने अगस्त 2019 से फरवरी 2021 तक 550 दिनों के लिए 4जी मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाए रखा। जनवरी 2020 में, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ और गुलाम नबी आजाद बनाम भारत संघ के मामलों में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में अदालत ने कहा कि इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 'कठोर उपाय' है जिसे राज्य द्वारा केवल तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब यह 'आवश्यक' और 'अपरिहार्य' हो और ऐसा 'कम हस्तक्षेपकारी चरित्र वाले विकल्पों की संभावना' का आकलन करने के बाद किया जाना चाहिए।

इंटरनेट शटडाउन का नियमन करने वाले भारत के कानून में व्यापक भाषा का इस्तेमाल होता है और इनमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों का आभाव है। ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 31 दिसंबर, 2022 के बीच तीन वर्षों में भारत में लगाए गए 127 शटडाउन की

पहचान की। 28 भारतीय राज्यों में से 18 राज्यों ने इन तीन वर्षों में कम-से-कम एक बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। इस संख्या में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में किए गए इंटरनेट शटडाउन शामिल नहीं हैं, जहां सरकार देश में किसी भी अन्य जगह की तुलना में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पाबंदी लगाती है। राज्य सरकारों ने 54 मामलों में इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शनों को रोकने या जवाबी कार्रवाई के रूप में किया। इसके अलावा 37 मामलों में स्कूल परीक्षाओं या सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल रोकने, 18 मामलों में सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम और 18 अन्य तरह के कानून और व्यवस्था मामलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी 18 राज्यों में से 11 राज्यों ने निलंबन आदेश सार्वजनिक नहीं किए। यहां तक कि जिन मामलों में आदेश सार्वजनिक किए गए, राज्य ज्यादातर मामलों में सार्वजनिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न खतरों का औचित्य ठहराने में अक्सर विफल रहे।

भारत की कई राज्य सरकारों ने सामूहिक दंड देने के लिए भी इंटरनेट प्रतिबंध लगाए। मार्च 2023 में एक अलगाववादी नेता को खोज निकालने के लिए पूरे पंजाब में तीन दिनों तक मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगायी गई। मई में, हिंसक नृजातीय संघर्षों के बाद मणिपुर में मोबाइल और फिक्स्ड लाइन सेवाओं, दोनों पर कई हफ्तों तक इंटरनेट पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। अधिकांश शटडाउन में मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल पर पाबंदी लगायी जाती है। लेकिन यह इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी के लिए इंटरनेट पर लगभग संपूर्ण प्रतिबंध में बदल जाता है, क्योंकि भारत में 96 प्रतिशत इंटरनेट ग्राहक इसका उपयोग अपने मोबाइल फोन पर करते हैं, जबकि केवल 4 प्रतिशत लोगों की फिक्स्ड लाइन इंटरनेट तक पहुंच है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 94 प्रतिशत फिक्स्ड लाइन कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को महत्वपूर्ण आय सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार ने उपस्थिति जांच और मजदूरी भुगतान समेत पूरे कार्यक्रम को डिजिटल करने की ओर कदम बढाए हैं, जिसके लिए इंटरनेट तक पर्याप्त पहुंच जरूरी है। दूरदराज इलाकों में नेटवर्क कवरेज पहले से ही खराब है, लेकिन इंटरनेट पर पाबंदी हालात को सिर्फ और बदतर बनाती है।

इंटरनेट शटडाउन लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी प्राप्त अनाज उपलब्ध कराने संबंधी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा नीति को भी प्रभावित करता है। 2017 में, सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को डिजिटल करने के लिए सब्सिडी वाला अनाज प्राप्त करने के पात्र सभी लोगों के लिए अपने राशन कार्ड को देश की बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली- आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया। नतीजतन, राशन दुकानों को आधार प्रमाणीकरण के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। इंटरनेट शटडाउन के कारण ग्रामीण समुदायों के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना, विभिन्न सुविधाओं के बिल का भुगतान और आधिकारिक दस्तावेजों के लिए आवेदन करना और उन्हें प्राप्त करना भी बहुत कठिन हो गया है।

भारत के सरकारी तंत्र का दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली अफवाहों से भड़कने वाली हिंसा और भीड़ की गोलबंदी की रोकथाम के लिए शटडाउन जरूरी हैं। लेकिन, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने 2015 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघर्ष की स्थितियों में जवाबी कार्रवाई पर संयुक्त घोषणापत्र में कहा था, 'संघर्ष के समय में भी, मानवाधिकार कानून के तहत कम्युनिकेशन 'किल स्विच' (यानी संचार प्रणालियों को पूरी तरह बंद करना) का इस्तेमाल कतई सही नहीं ठहराया जा सकता।'

दो समूहों ने कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन कानून और व्यवस्था बनाए रखने में प्रभावी रहा है। 2021 में, इस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत करने में भारत सरकार की विफलता के बाद, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने अपने निष्कर्ष में कहा, 'अभी तक, इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि सार्वजनिक आपातकाल से निपटने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में इंटरनेट शटडाउन प्रभावी रहा है।'

इंटरनेट तक पहुंच को व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने वाला अनिवार्य साधन माना जाता है। ये अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता(आईसीसीपीआर) और अन्य मानवाधिकार मंचों, जिनमें भारत शामिल है, द्वारा गारंटीशुदा हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2016 में प्रस्ताव पारित कर इंटरनेट शटडाउन की साफ तौर पर निंदा की और सभी राज्यों से 'ऐसे उपायों से बचने और इन्हें समाप्त करने' की मांग की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि व्यापक इंटरनेट शटडाउन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करते हैं। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जोर देकर कहा कि इंटरनेट की सार्वभौमिक पहुंच को 2030 तक मानवाधिकार के रूप में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन भारत सरकार की डिजिटल स्वतंत्रता संबंधी प्रतिबद्धताओं के भी खिलाफ है। जून 2022 में, भारत ने जी7 देशों और चार अन्य देशों के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किया जिसमें 'मुक्त, निःशुल्क, वैश्विक, सूचनाओं के विनिमय और उपयोग में सक्षम, विश्वसनीय और सुरक्षित इंटरनेट' सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई गई।

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता ने कहा, 'भारत सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के बारे में आधारहीन तर्क देना बंद करना चाहिए। इसके बजाय यह ध्यान देना चाहिए कि कैसे इन प्रतिबंधों ने लोगों के जीवन को पूरी तरह ठप कर दिया है, कुछ मामलों में तो ऐसे नुकसान हुए हैं जिनकी भरपाई नहीं की जा सकती। सरकारी तंत्र को चाहिए कि देश की प्रतिष्ठा और यहां के लोगों, दोनों को गंभीर रूप से आघात पहुंचाने वाले इंटरनेट शटडाउन के दमनकारी तौर-तरीके का इस्तेमाल बंद करे।'

Source: https://www.hrw.org/hi/news/2023/06/13/india-internet-shut-downs-hurt-vulnerable-communities

एक देश एक चुनाव: फायदे, नुकसान और जरूरत का विमर्श

दीनबंधु वत्स

लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है। भारत में साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही होते थे। आजादी के बाद भारत में नए संविधान के तहत देश में पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था। उस समय राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव साथ ही कराए गए थे, क्योंकि आजादी के बाद विधानसभा के लिए भी पहली बार चुनाव हो रहे थे। उसके बाद साल 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही हुए थे। यह क्रम पहली बार उस समय टूटा था जब केरल में साल 1957 के चुनाव में ईएमएस नंबूदरीपाद की वामपंथी सरकार बनी। इस सरकार को उस समय की केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाकर हटा दिया था। केरल में दोबारा साल 1960 में विधानसभा चुनाव कराए गए थे।

लोकसभा और विधानसभा चुनाव को दोबारा एक साथ कराने का मुद्दा साल 1983 में भी उठा था। उसके बाद साल 1999 में विधि आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था। उस समय केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। साल 2014 में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया था। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए पहल की है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है।

इस पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। कानून मंत्रालय ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति गठित कर दी है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में विधि आयोग यह विचार कर रहा है कि 2029 तक कैसे लोकसभा और विधान सभा का चुनाव एक साथ हो सकता है। विधि आयोग ने 25 अक्टूबर 2023 को समिति के समक्ष इस सदर्भ में एक रोडमैप भी प्रस्तुत किया था।

देश में संसदीय प्रणाली होने के नाते अलग-अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं और जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे छोटे-छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है।

क्यों है जरूरत एक देश एक चुनाव की

किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने वाले चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी दौर में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। इस सबसे बचने के लिए नीति-निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया है। गौरतलब है कि देश में इनके अलावा पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव भी होते हैं जिसका संचालन राज्य चुनाव आयोग करती है।

क्या होंगे फायदे

'एक देश एक चुनाव' के पक्ष में कहा जाता है कि यह एक विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है लगातार

चुनावों के कारण देश में बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, जिसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। इसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए यदि देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी, और इसके बाद विकास कार्यों को निर्बाध पूरा किया जा सकेगा। हालांकि चुनाव आचार संहिता के दौरान आमतौर पर करीब डेढ़ महीने तक सरकार कुछ भी नया नहीं कर सकती है, लेकिन पहले से चल रही योजना पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वहीं राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों के काम पर आचार संहिता का कोई असर नहीं होता है।

यह भी माना जा रहा है कि इससे बार-बार चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। गौरतलब है कि बार-बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की आर्थिक सेहत के लिये ठीक नहीं है।

इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि देश में प्रत्याशियों द्वारा चुनावों में किये जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, किन्तु राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कुछ विश्लेषक यह मानते हैं कि लगातार चुनाव होते रहने से राजनेताओं और पार्टियों को सामजिक समरसता भंग करने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से अनावश्यक तनाव की परिस्थितियां बन जाती हैं। एक साथ चुनाव कराये जाने से इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है।

एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार-बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय तो बचेगा ही, वे अपने कर्त्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पायेंगे।

क्यों हो रहा विरोध

'एक देश एक चुनाव' के विरोध में विश्लेषकों का मानना है कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाएँ पाँच वर्षों के लिये चुनी जाती हैं, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। मसलन अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नये राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है, जहाँ अलग से चुनाव कराने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 85(2)(ख) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और अनुच्छेद 174(2)(ख) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को पाँच वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के राजनीतिक समीकरण में अप्रत्याशित उलटफेर होने से वहाँ फिर से चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। ये सारी परिस्थितियाँ एक देश एक चुनाव के नितांत विपरीत हैं।

अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएँ या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो दें। देश में संसदीय प्रणाली होने के नाते अलग-अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं और जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे छोटे-छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराये जाते हैं, तो ऐसा होने की आशंका बढ़ जाएगी।

इसके लिए विधानसभाओं के कार्यकाल और राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधानों को बदलना होगा। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व कानून और सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लाने के नियमों को बदलना होगा। इसके साथ ही नगर निगम और पंचायत के चुनाव को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 324 में भी संशोधन करना होगा।

संविधान संशोधन की जरूरत

इसके लिए सबसे पहले संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन जरूरी होगा जिसमें अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 शामिल हैं। इसमें विधानसभाओं के कार्यकाल और राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधानों को बदलना होगा। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व कानून और सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लाने के नियमों को बदलना होगा। इसके साथ ही नगर निगम और पंचायत के चुनाव को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 324 में भी संशोधन करना होगा।

केंद्र और राज्य के बीच का टकराव

राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, केंद्र के पास नहीं। केंद्र ऐसा तभी कर सकता है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो। ऐसा सभी राज्यों में एक साथ नहीं हो सकता। किसी भी राज्य की विधानसभा को कार्यकाल पूरा किए बिना भंग करने से एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जायेगा जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। भारत का संघीय ढाँचा संसदीय शासन प्रणाली से प्रेरित है और संसदीय शासन प्रणाली में चुनावों की बारंबारता एक अकाट्य सच्चाई है।

चुनाव का अर्थशास्त्र

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के मुताबिक भारत का चुनाव दुनियाभर में सबसे सस्ता चुनाव है। भारत में चुनावों में एक अमेरिकी डॉलर प्रति वोटर के हिसाब से खर्च होता है। इसमें चुनाव की व्यवस्था, सुरक्षा, कर्मचारियों की तैनाती, ईवीएम सब कुछ शामिल है। वहीं जिन देशों के चुनावी खर्च के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें कीनिया में यह खर्च 25 डॉलर प्रति वोटर होता है, जो दुनिया में सबसे महंगे चुनाव में शामिल है। भारत के ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में पिछले आम चुनाव में करीब 1।75 डॉलर प्रति वोटर खर्च हुआ था।

भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी के अनुसार भारत में चुनाव कराने में करीब चार हजार करोड़ का खर्च होता है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। जहाँ तक राजनीतिक दलों के करीब 60 हजार करोड़ के खर्च की बात है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। इससे नेताओं और राजनीतिक दलों के पैसे गरीबों के पास पहुंचते हैं। चुनावों के दौरान बैनर-पोस्टर और प्रचार सामग्री बनाने, चिपकाने वालों से लेकर ऑटो और रिक्शेवाले तक को काम मिलता है। यह एक मात्र मौका होता है जब आम लोगों को महत्व दिया जाता है और नेता, जनता के पास जाते हैं। एक पुराना उद्धरण है 'जब-जब चुनाव आता है, गरीब के पेट में पुलाव आता है'। यह गरीबों के लिए चुनाव के महत्व को बताता है।

विश्व के अन्य देशों में केंद्र और राज्य के चुनाव अलग-अलग होते हैं। हालांकि बेल्जियम, स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देश हैं जहां केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पुरानी चुनावी घोषणाओं को एक-एक कर लागू कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार देर-सबेर इसे भी लागू करेगी। ऐसे में भारत को बड़ी सावधानी के साथ राजनैतिक सहमति बनाते हुए इस दिशा में आगे बढ़ना होगा।

पैरवी गतिविधियाँ...

कार्यशाला: सामाजिक परिवर्तन के लिए फोटोग्राफी

पैरवी और समवेत, भागलपुर की ओर से 'सामाजिक परिवर्तन के लिए फोटोग्राफी' विषय पर एक फोटो एवं वीडियो डाक्यूमेन्टेशन कार्यशाला का आयोजन नवंबर 2023 में भागलपुर में किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्य कर रही संस्थाओं के कार्यकर्ताओं में फोटो एवं वीडियो डाक्यूमेन्टेशन की बुनियादी समझ विकसित करना था।

समवेत के निदेशक विक्रम ने कार्यशाला के उद्देश्य पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं के लिए फोटो और वीडियो दस्तावेजीकरण का विशेष महत्व है, यह जागरूकता एवं एडवोकेसी में सहायक होने के साथ-साथ विभिन्न मंचों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आधुनिक समय में वैश्विक स्तर पर महती भूमिका निभाता है।

कार्यशाला में मुख्य स्रोत व्यक्ति के रूप में पैरवी के रजनीश साहिल ने विजुअल मीडिया, उसके प्रकार और उनके उपयोग के बारे में जानकारी देने के साथ सत्र की शुरुआत की। उन्होंने सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई जाने-माने फोटोग्राफर, फोटो पत्रकारों के काम का उदाहरण देते हुए सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में फोटो-वीडियोग्राफी के महत्व को रेखांकित किया, जिसके बाद फोटोग्राफी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। अच्छी तस्वीर तथा वीडियो के लिए ध्यान रखने योग्य बातों, आवश्यक तकनीकी पक्ष, सामाजिक आंदोलन में फोटोग्राफी के पहलू आदि के साथ-साथ मोबाइल फोटोग्राफी के भी विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से जानकारी दी। प्रायोगिक सत्र में कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों ने पिछले सत्र में प्राप्त जानकारी, खासकर तकनीकी पहलुओं का अभ्यास किया, जिसके बाद प्रतिभागियों द्वारा लिए गए फोटो एवं वीडियो को प्रदर्शित करते हुए उनकी खामियों-खूबियों पर रजनीश साहिल ने प्रतिभागियों से संवाद किया और खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है इस पर प्रकाश डाला।

इस कार्यशाला में जमुई, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कहलगाँव, मोतीहारी, बांका व बिहार के अन्य हिस्सों से सामाजिक मुद्दों पर कार्यरत लगभग ४० प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

मोबिलाइजेशन वीकेंड

एसडीजी समिट 2023 से पूर्व 16 और 17 सितंबर को मोबिलाइजेशन सप्ताहांत एमजीएस/सीएसओ और निजी क्षेत्र द्वारा परिवर्तनकारी नवाचारों को समर्पित था। 16 सितंबर को, एचएलपीएफ/एसडीजी पर प्रमुख समूहों और अन्य हितधारक समन्वय तंत्र (एमजीओएस सीएम) ने 'बाधाओं को तोड़ना और किसी को पीछे नहीं छोड़ना'

शीर्षक से एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वक्ताओं में से एक थे पैरवी के निदेशक अजय झा। उन्होंने 'बहुपक्षवाद में अंतराल' पर बात की। सुश्री अमीना मोहम्मद, उप महासचिव, मानवाधिकार आयुक्त (न्यूयॉर्क) व आयरलैंड और जर्मनी की मंत्री ने भी इस कार्यक्रम में बात की।

कार्यशाला: जेण्डर, गैर-बराबरी और कानूनी ढांचा

40 से अधिक ग्रामीण किशोरियों व महिलाओं में जेण्डर की समझ बढ़ाने और गैर बराबरी व कानूनी अधिकारों पर प्रशिक्षण के लिए पैरवी, नई दिल्ली और सत्यकाम जन कल्याण समिति, छिंदवाड़ा द्वारा अगस्त 2023 में होटल शानू, छिंदवाड़ा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में 'जेण्डरः दृष्टिकोण निर्माण' पर बोलते हुए पैरवी के रजनीश साहिल ने कहा कि हम सदियों से मनुष्य को महिला और पुरुष में बांटकर देखने के आदी रहे हैं। संबंध हों या कार्य उन्हें हमने महिला और पुरुष के भेद में बांट रखा है। इन्ही धारणाओं के कारण महिला, पुरुष व अन्य पहचानों के बीच भेदभाव और गैर-बराबरी की व्यवस्था का अस्तित्व बना है और किसी अलग पहचान, व्यवस्था को स्वीकार करना मुश्किल होता है। अभी हम महिला-पुरुष के भेद की अवधारणा को ही पूरी तरह नहीं तोड़ सके हैं। इसे तोड़ने के लिए शुरुआती इकाई परिवार है। शैफाली शर्मा (मेजर अमित एजुकेशन सोसायटी) व शबाना आजमी (सत्यकाम जन कल्याण समिति) ने गैर बराबरी, कार्यस्थल पर भेदभाव, विशाखा गाइडलाइन व अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। भावना कुमरे (प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर) व ऐमन अंसारी ने सेंटर द्वारा संचालित कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं को दी जाने वाली विधिक सहायता पर विस्तार से चर्चा की। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मौजूद कानूनी ढांचे और विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता एकता साहू ने प्रतिभागियों की समस्याओं पर चर्चा की और सुझाव दिए। उन्होंने महिलाओं से जुड़े विभिन्न विधिक मामलों से संबंधित कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता स्मिता गंगराड़े ने पुलिस व अदालती कार्रवाई के संदर्भ में महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान की।

तथ्यान्वेषण-परिचर्चा: छिंदवाड़ा में स्कूल ड्रॉपआउट बच्चों की स्थिति

पैरवी, नई दिल्ली और सत्यकाम जन कल्याण समिति, छिंदवाड़ा द्वारा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्कूल से ड्रॉपआउट बच्चों की स्थिति पर एक तथ्यान्वेषण रिपोर्ट जारी करते हुए 31 जुलाई 2023 को एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। रिपोर्ट बताती है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2021 तक के शिक्षा सत्रों में छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा, बिछुआ, छिंदवाड़ा, हर्रई, जुन्नारदेव, मोहखेड़, सौसर, तामिया, चौराई व परासिया विकासखण्ड में कुल 3085 बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। बच्चों के स्कूल छोड़ने के पीछे प्रमुख कारण परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति और आजीविका के लिए पलायन है। शालात्यागी बच्चों में लड़कियों की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। तथ्यान्वेषण के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों का विवाह कर देने के मामले भी सामने आए हैं। वक्ताओं ने बच्चों के शाला छोड़ने की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके कारणों और समाधान की दिशा में उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा की।

राष्ट्रीय विमर्श: बीड़ी कामगारों का सामाजिक-आर्थिक विकास

पैरवी बिहार और मध्य प्रदेश में महिला बीड़ी श्रमिकों के मानवाधिकारों की रक्षा और जीवन स्तर में बेहतरी के लिए सामाजिक सुरक्षा, आजीविका के वैकल्पिक अवसर, संगठन और सामूहिक नेतृत्व के मुद्दे पर काम कर रही है। इसी क्रम में जबलपुर में बीड़ी कामगारों के सामाजिक-आर्थिक विकास के मुद्दे पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया गया। इस विमर्श में बिहार व मध्य प्रदेश के बीड़ी कामगार, सामाजिक कार्यकर्ता, श्रम संगठनों के कार्यकर्ता, प्रशासनिक प्रतिनिधि शामिल रहे और बीड़ी श्रमिकों से जुड़े मुद्दे जैसे उनके रोजगार की चुनौतियाँ एवं समाधान, संगठन एवं मजदूर यूनियन, स्वास्थ्य पर प्रभाव, वैकल्पिक रोजगार के अवसर एवं चुनौतियाँ और आगे की गतिविधियों पर चर्चा हुई।

संपादक मंडलः **प्रो. संजय भट्ट, अजय के. झा, रजनीश**
पैरवी के-8, तीसरा तल, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024 द्वारा सीमित प्रसार के लिए प्रकाशित
संपर्क - फोनः 011-29841266, 46101652 | ईमेलः pairvidelhi1@gmail.com, info@pairvi.org | वैबसाइटः www.pairvi.org